



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 192-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 31, 2017 (KARTIKA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0,- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में, क्रम संख्या 202 के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
203	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन स्थापना के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
204	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
205	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन चलाने के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव

1	2	3	4	5	6	7
206	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने के लिए स्वीकृति	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
207	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	खतरनाक व अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा से परे संचार) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव
208	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार	30 दिन	क्षेत्रीय अधिकारी / पर्यावरणिय अभियन्ता	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 31st October, 2017

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule; after serial number 202, under columns 1,2,3,4,5,6 and 7, the following serial numbers and entries thereafter shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
“203	Haryana State Pollution Control Board	Consent to Establish under the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	30 Days	Regional Officer/ Environmental Engineer	Member Secretary	Administrative Secretary
204	Haryana State Pollution Control Board	Consent to Establish under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	30 Days	Regional Officer/ Environmental Engineer	Member Secretary	Administrative Secretary
205	Haryana State Pollution Control Board	Consent to operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	30 Days	Regional Officer/ Environmental Engineer	Member Secretary	Administrative Secretary

206	Haryana State Pollution Control Board	Consent to operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	30 Days	Regional Officer/ Environmental Engineer	Member Secretary	Administrative Secretary
207	Haryana State Pollution Control Board	Authorization under the Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016	30 Days	Regional Officer/ Environmental Engineer	Member Secretary	Administrative Secretary
208	Haryana State Pollution Control Board	Authorization under Bio-Medical Waste Management Rules, 2016	30 Days	Regional Officer/ Environmental Engineer	Member Secretary	Administrative Secretary".

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.